न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —04/2019
अनवान : —

1. राजेन्द्र पुत्र श्री लेखराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

:—वादी

बनाम

1. लेखराम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. शारदा
3. ओमी कुमारी } पुत्रियान लेखराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
4. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा नेठराना जरिये शाखा प्रबन्धक।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा

:—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—श्री श्रवण सहारण वकील **वादी**
श्री सुरजीत बिजारणियावकील **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 30/01/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 5 एनटीआर के खाता सं0 187/176 के मु0नं0 34 के किला नं0 21 ता 24 मु0नं0 35 के किला नं0 21 की 0.177 है0, 22 ता 25, मु0नं0 46 के किला नं0 1 की 0.177 है0 2 ता 9 किला नं0 10 की 0.177 है0मु0नं0 47 के किला नं0 1 ता 4, 7, 8, 9/1 की 0.202 है0 10/1 की 0.202 है0 14, 22, 23 मु0नं0 54 के किला नं0 1 ता 3, 9, 10 मु0नं0 76 के किला नं0 16/1 की 0.202 है0 17 ता 24, 25/1 की 0.202 है0, मु0नं0 77 के किला नं0 25 इस प्रकार खाते का कुल योग 11.206 है0 नहरी, बारानी मय रास्ता खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 लेखराम 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा चक नं0 5 एनटीआर के खाता सं0 188/175 के मु0नं0 47 के किला नं0 9/2 की 0.051 है0, 10/2 की 0.051 है0 मु0नं0 77 के किला नं0 16, इस प्रकार खाते का कुल योग 0.355 है0 नहरी व बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 लेखराम 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा चक नं0 5 एनटीआर के खाता सं0 189/27 के मु0नं0 35 के किला नं0 6/2 की 0.158 है0 किला नं0 15/2 की 0.046 है0 इस प्रकार कुल 0.204 है0 नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 लेखराम 0.091 है0 का खातेदार काश्तकार है।

चक नं0 5 एनटीआर के खाता सं0 194/181 के मु0नं0 77 के किला नं0 17/19 की 0.759 है0 बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसका प्रतिवादी सं0

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ)

1 लेखराम खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी सं0 1 लेखराम को उपरोक्त कृषि भूमि अपने पिता गंगाराम से विरासतन प्राप्त हुई है। उपरोक्त कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक व दादालाई सम्पति है। उपरोक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 लेखराम के साथ साथ मुझ वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 का जन्म से हक हिस्सा है। उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 लेखराम के नाम महज कर्ता खानदान होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रतिवादीया सं0 2 व 3 शारदा व ओमी कुमारी ने राजी खुशी से अपना हक व हिस्सा वादी राजेन्द्र व प्रतिवादी सं0 1 लेखराम के पक्ष में बहिस्सा बराबर हिन्दू रिति रिवाज व परम्परा के मुताबिक परित्याग कर दिया है एव ना ही उन्होने कभी उपरोक्त कृषि भूमि काश्त किया है। इसी प्रकार प्रतिवादीया सं0 2 व 3 का वाद भूमि में कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 5 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 4 को वकील वादी ने तर्क किया।

साक्ष्य वादी में वादी राजेन्द्र पुत्र लेखराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, नकल फोटो प्रति जमाबन्दी चक 5 एनटीआर के खाता सं0 187/176, 188/175, 189/27, 194/181 सम्वत् 2072– 75 प्रदर्श 2, 3, 4, 5 व फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी भूमि एकीकरण विभाग चक 5 नेठराना सम्वत् 2016 प्रदर्श 6, 7 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादी सं0 1 लेखराम को वाद कृषि भूमि अपने पिता गंगाराम से विरासतन प्राप्त हुई है। वाद कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक व दादालाई सम्पति है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 लेखराम के साथ साथ मुझ वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 का जन्म से हक हिस्सा है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने चक 5 एनटीआर के खाता सं0 187/176, 188/175,189/27, 194/181 के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में वाद कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक व दादालाई कृषि भूमि होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी भूमि एकीकरण विभाग चक 5 नेठराना सम्वत् 2016 प्रदर्श 6, 7 प्रदर्शित करवाये है जिनमें वाद कृषि भूमि वादी के दादा गंगाराम वल्द धन्नाराम के नाज दर्ज है जिससे वाद कृषि भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा प्रतिवादीया सं0 2 व 3 ने राजीनामा में स्वीकार किया है कि वाद कृषि भूमि में उन्होने अपना हक हिस्सा अपने भाई वादी के पक्ष में त्याग दिया है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 में लेखराम के वारिसान में पत्नी भागा, एक दो पुत्रियां शारदा व ओमी कुमारी एवं एक पुत्र राजेन्द्र होना व अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ)

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि **रोही मौजा चक 5 एनटीआर के खाता सं0 187/176** के मु0नं0 34 के किला नं0 21 ता 24 मु0नं0 35 के किला नं0 21 की 0.177 है0, 22 ता 25, मु0नं0 46 के किला नं0 1 की 0.177 है0 2 ता 9 किला नं0 10 की 0.177 है0मु0नं0 47 के किला नं0 1 ता 4, 7, 8, 9/1 की 0.202 है0 10/1 की 0.202 है0 14, 22, 23 मु0नं0 54 के किला नं0 1 ता 3, 9, 10 मु0नं0 76 के किला नं0 16/1 की 0.202 है0 17 ता 24, 25/1 की 0.202 है0, मु0नं0 77 के किला नं0 25 इस प्रकार खाते का कुल योग 11. 206 है0 नहरी, बारानी मय रास्ता ख़ातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 लेखराम 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। **रोही मौजा चक नं0 5 एनटीआर के ही खाता सं0 188/175** के मु0नं0 47 के किला नं0 9/2 की 0.051 है0, 10/2 की 0.051 है0 मु0नं0 77 के किला नं0 16, इस प्रकार खाते का कुल योग 0.355 है0 नहरी व बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 लेखराम 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। **रोही मौजा चक नं0 5 एनटीआर के ही खाता सं0 189/27 के मु0नं0 35** के किला नं0 6/2 की 0.158 है0 किला नं0 15/2 की 0. 046 है0 इस प्रकार कुल 0.204 है0 नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 लेखराम 0.091 है0 का खातेदार काश्तकार है। **चक नं0 5 एनटीआर के ही खाता सं0 194/181** के मु0नं0 77 के किला नं0 17 ता 19 की 0.759 है0 बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसका प्रतिवादी सं0 1 लेखराम खातेदार काश्तकार है उपरोक्त चारों खातों में प्रतिवादी सं0 1 लेखराम के नाम दर्ज कृषि भूमि में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 लेखराम के बजाय वादी 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 लेखराम 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 व 3 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि वाद कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी राजेन्द्र के नाम 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 लेखराम के नाम 1/4 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30-01-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ (राज0)

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —04/2019

अनवान : —

1. राजेन्द्र पुत्र श्री लेखराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

:—वादी

बनाम

1. लेखराम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. शारदा } पुत्रियान लेखराम जाति जाट निवासी नेठराना
3. ओमी कुमारी } तहसील भादरा।
4. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा नेठराना जरिये शाखा प्रबन्धक।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा

:—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

आज यह वाद मुझ श्री मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण सुरजीत बिजारणिया की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जातीकि **रोही मौजा चक 5 एनटीआर के खाता** सं0 187/176 के मु0नं0 34 के किला नं0 21 ता 24 मु0नं0 35 के किला नं0 21 की 0.177 है0, 22 ता 25, मु0नं0 46 के किला नं0 1 की 0.177 है0 2 ता 9 किला नं0 10 की 0.177 है0मु0नं0 47 के किला नं0 1 ता 4, 7, 8, 9/1 की 0.202 है0 10/1 की 0.202 है0 14, 22, 23 मु0नं0 54 के किला नं0 1 ता 3, 9, 10 मु0नं0 76 के किला नं0 16/1 की 0.202 है0 17 ता 24, 25/1 की 0.202 है0, मु0नं0 77 के किला नं0 25 इस प्रकार खाते का कुल योग 11.206 है0 नहरी, बारानी मय रास्ता खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 लेखराम 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। **रोही मौजा चक नं0 5 एनटीआर के ही खाता सं0 188**/175 के मु0नं0 47 के किला नं0 9/2 की 0.051 है0, 10/2 की 0.051 है0 मु0नं0 77 के किला नं0 16, इस प्रकार खाते का कुल योग 0.355 है0 नहरी व बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 लेखराम 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। **रोही मौजा चक नं0 5 एनटीआर के ही खाता सं0 189/27** के मु0नं0 35 के किला नं0 6/2 की 0.158 है0 किला नं0 15/2 की 0.046 है0 इस प्रकार कुल 0.204 है0 नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 लेखराम 0.091 है0 का खातेदार काश्तकार है। **चक नं0 5 एनटीआर के ही खाता** सं0 **194/181** के मु0नं0 77 के किला नं0 17 ता 19 की 0.759 है0 बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसका प्रतिवादी सं0 1 लेखराम खातेदार काश्तकार है उपरोक्त चारों खातों में प्रतिवादी सं0 1 लेखराम के नाम दर्ज कृषि भूमि में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 लेखराम के बजाय वादी 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 लेखराम 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 व 3 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए

W

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ)

त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि वाद कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी राजेन्द्र के नाम 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 लेखराम के नाम 1/4 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/01/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

(मुकेश बारैठ)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

उपखण्ड अधिकारी (राज.) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.02.28 11:58:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: